भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/281

विवि.सीआरई.आरईसी.200/07-03-005/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025

विषयसूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2
अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड 6
अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 12

परिचय

किसी बैंक का किसी एक प्रतिपक्ष या परस्पर जुड़े प्रतिपक्षों के समूह के प्रति एक्सपोज़र का संकेंद्रण काफ़ी जोखिम पैदा करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को समझते हुए, मई 1994 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए उनकी मांग और मीयादी देनदारियों (डीटीएल) के आधार पर विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा लागू कीं। इन मानदंडों को जनवरी 1996 में संशोधित किया गया था और एक्सपोजर मानदंडों को बैंक के पूंजीगत निधि के संदर्भ में फिर से परिभाषित किया गया था। ये सीमाएं व्यक्तिगत उधारकर्ता और परस्पर जुड़े उधारकर्ताओं के समूह के लिए बैंकों के जोखिम को प्रतिबंधित करती हैं, जो उनकी तुलन-पत्र आस्तियों पर संकेंद्रण जोखिम को कम करने की नींव रखती हैं। इसके अलावा, गैर जमानती अग्रिमों और अंतर-बैंक एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर को सीमित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड भी जारी किए गए थे। एक सूक्ष्म-स्तरीय एवं विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने और बहुत बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों को सीमित करने की दृष्टि से, यूसीबी छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों पर विवेकपूर्ण मानदंडों के भी अधीन हैं। ये विवेकपूर्ण मानदंड सामूहिक रूप से यूसीबी के समक्ष आने वाले संकेंद्रण जोखिमों का समाधान करते हैं और उन्हें इन निदेशों में समेकित किया जा रहा है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक: संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निदेश शहरी सहकारी बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'यूसीबी' के रूप में और व्यक्तिगत रूप से 'यूसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीवी) के तहत परिभाषित प्राथमिक सहकारी बैंक से होगा।

ग. परिभाषाएं

4. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निदेशों में दिए गए पदों के अर्थ वही होंगे, जो नीचे दिए गए हैं:-

(1) " **ऋण एक्सपोजर"** में वित्त पोषित और गैर-वित्तपोषित क्रेडिट सीमाएं और हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताएं; उपकरण पट्टे पर देने और किराया खरीद वित्तपोषण के माध्यम से विस्तारित सुविधाएं; और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं को स्वीकृत तदर्थ सीमाएं शामिल होंगी।

(i) स्वीकृत सीमा या बकाया राशि जो भी अधिक हो, ऋण एक्सपोजर सीमा के निर्धारण के लिए गिना जाएगा। इसके अलावा, पूरी तरह से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को पुन आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, शहरी सहकारी बैंक ऋण एक्सपोजर सीमा के निर्धारण के लिए बकाया राशि को शामिल कर सकता है।

(ii) गैर-वित्तपोषित ऋण सीमा के संबंध में, ऐसी सीमा का 100 प्रतिशत या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, को इस प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) किसी व्यक्तिगत यूसीबी का कंसोर्टियम/मल्टीपल बैंकिंग/सिंडिकेशन में हिस्सा एकल उधारकर्ता/समूह के एक्सपोजर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(iv) ऋण एक्सपोजर में यूसीबी की अपनी सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

(2) "**निवेश एक्सपोजर (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)**" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025 में निहित प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3) "**एक्सपोजर**" में ऋण एक्सपोजर (ऋण और अग्रिम) और निवेश एक्सपोजर (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां) दोनों शामिल होंगे, जैसा कि पैराग्राफ 4 (1) और 4 (2) में दर्शाया गया है।

(4) "**समूह**":

(i) समूह की परिभाषा के संबंध में निर्णय को यूसीबी की धारणा पर छोड़ दिया गया है, जो आम तौर पर अपने ग्राहकों की मूल संरचना से अवगत होता है। इसलिए, एक विशेष उधारकर्ता इकाई जिस समूह से संबंधित है, उसका निर्णय यूसीबी द्वारा उसके पास उपलब्ध प्रासंगिक सूचना के आधार पर किया जा सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रबंधन की समानता और प्रभावी नियंत्रण है।

(ii) एक या एक से अधिक साझा भागीदारों वाली विभिन्न फर्मों, जो की एक ही व्यवसाय में लगी हुई है जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापारिक गतिविधि आदि को जुड़ा हुआ समूह माना जाएगा और साझी स्वामित्व के तहत आने वाली इकाइयों को एक ही पक्ष माना जाएगा।

(5) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक "**टियर-I पूंजी"** को एक्सपोजर सीमा तय करने के उद्देश्य से गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए टियर-I पूंजी वही होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित है।

(6) " **गैर जमानती अग्रिम"** में क्लीन ओवरड्राफ्ट, वैयक्तिक जमानत पर ऋण, खरीदी या भुनाई गई निर्बाध हुंडियां या पारस्पारिक (मुल्तानी) हुंडियां, वसूली के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर खरीदे गए चेक या अनुमत आहरण शामिल होंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे:

(i) केंद्र या राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, बैंकों और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा समर्थित अग्रिम;

(ii) केंद्र या राज्य सरकारों या राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर आहरित आपूर्ति बिलों की जमानत पर दिए गए अग्रिम जो विधिवत अधिकृत निरीक्षण नोट या रसीद चालान के साथ होते हैं;

(iii) ट्रस्ट रसीदों की जमानत पर दिए गए अग्रिम;

(iv) साख पत्र के अंतर्गत आहरित स्वीकृति के विरुद्ध अंतर्देशीय दस्तावेज (डी/ए) बिलों की जमानत पर अग्रिम;

(v) अंतर्देशीय डी/ए बिलों (यहां तक कि जहां ऐसे बिल साख पत्र के अंतर्गत आहरित नहीं किए जाते हैं) जिनकी मीयाद 90 दिनों से अधिक न हो, की जमानत पर अग्रिम;

(vi) वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत जमानत पर दिया गया अग्रिम,

परन्तु संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम में यूसीबी के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन/मजदूरी में से आवधिक ऋण किस्तों की कटौती के लिए एक अनिवार्य प्रावधान हो, और

बशर्ते कि यूसीबी ने इस तरह के प्रत्येक अग्रिमों के संबंध में इस प्रावधान का लाभ उठाया हो (कृपया पैरा 23 और 24 देखें);

(vii) प्रतिष्ठित निजी पार्टियों और प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और प्रतिष्ठानों के प्राप्त चालान पर आहरित आपूर्ति बिलों की जमानत पर अग्रिम और जो 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया न हो;

(viii) उन बही ऋणों की जमानत पर अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक बकाया न हों;

(ix) सरकारों, सार्वजनिक निगम और स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा जारी किए गए चेक;

(x) निर्यात के लिए पैकिंग क्रेडिट के रूप में अग्रिम;

(xi) खरीदे गए डिमांड ड्राफ्ट;

(xii) अंशत: जमानती अग्रिमों का जमानती हिस्सा; और

(xiii) देय या देय होनेवाली संविदा राशि के कानूनी समनुदेशन की जमानत पर अग्रिम।

नोट: भारतीय रेलवे या इंडियन एयरलाइंस निगम या सड़क और जल परिवहन परिचालकों की आधिकारिक प्राप्तियों के बिना प्राप्त सभी विनिमय बिलों को क्लीन बिल माना जाएगा।

(7) " **नाममात्र सदस्य"** में कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो सहदायिक है या जो बैंक के उधारकर्ता सदस्य के लिए जमानतदार खड़ा होना चाहता है या जो अस्थायी अवधि के लिए (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए, (ii) कुछ मूर्त प्रतिभूतियों जैसे सोने और चांदी के आभूषण, सावधि जमा रसीदें, जीवन बीमा पॉलिसी, सरकार और अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर कभी-कभी उधार लेना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क के रूप में नाममात्र शुल्क के भुगतान पर एक निर्धारित प्रपत्र में नाममात्र सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह बैंक के संचालन के क्षेत्र के भीतर रहता है या किसी भी व्यवसाय में लाभप्रद रूप से लगा हुआ है। किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति नाममात्र सदस्यता की पात्र नहीं होगी और इस तरह उसे नाममात्र सदस्यता में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नाममात्र सदस्य शेयर प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षित खाते, वार्षिक रिपोर्ट और लाभांश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। नाममात्र सदस्य बैंक की आम बैठक और/या विशेष आम बैठक में शामिल होने, भाग लेने और मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड

क. बोर्ड की भूमिका

5. एक यूसीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक नीति लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल होंगे, जिनका ब्यौरा आगामी पैरा में दिया गया है।

(1) यूसीबी की टियर-I पूंजी के संबंध में एक्सपोजर सीमा का निर्धारण।

(2) रियल एस्टेट ऋणों की कुल राशि की अधिकतम सीमा के लिए व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड।

(3) विभिन्न ऋण-आकार श्रेणियों के अंतर्गत छोटे मूल्यवर्ग के ऋण पोर्टफोलियो प्रवृत्ति और गुणवत्ता की आवधिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

ख. व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर सीमा

6. यूसीबी अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति से, अपनी टियर-I पूंजी के संबंध में एक्सपोजर सीमा निर्धारित करेगा। इस उद्देश्य के लिए एक्सपोजर में ऋण एक्सपोजर (ऋण और अग्रिम) और निवेश एक्सपोजर (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां) दोनों शामिल होंगे, जैसा कि क्रमशः अनुच्छेद 4(1) और 4(2) में विस्तृत है, ताकि:

(1) एक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर टियर-I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक न हो; और

(2) संबंधित उधारकर्ताओं/पक्षों के समूह के प्रति एक्सपोजर, टियर-I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

नोट: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्यों में कमी के कारण नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था के साथ पात्र निधियों में यूसीबी के अंशदान को उपरोक्त विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को तय करने के लिए व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं को यूसीबी के समग्र एक्सपोजर की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। पीएसएल से संबंधित अनुदेश समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 मार्च 2025 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार–लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 में निहित हैं।

7. पैराग्राफ 6 में निर्धारित एक्सपोजर सीमा 13 मार्च 2020 के बाद यूसीबी द्वारा लिए गए सभी प्रकार के नए एक्सपोजर पर लागू होती है। अगर कोई एक्सपोज़र तय सीमाओं से अधिक था, तो यूसीबी को 31 मार्च 2023 तक उन्हें इन संशोधित सीमाओं के भीतर लाना आवश्यक था। हालांकि, जहां मौजूदा एक्सपोजर के उल्लंघन में केवल सावधि ऋण और गैर-निधि-आधारित सुविधाएं शामिल हैं, इन सुविधाओं को उनके संबंधित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार / परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जबकि ऐसे उधारकर्ताओं पर किसी भी नए एक्सपोजर को प्रतिबंधित किया गया था।

ग. व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम सीमा की गणना

8. एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कार्य प्रतिवर्ष यूसीबी के तुलनपत्र को अंतिम रुप देने और उसकी लेखापरीक्षा हो जाने के बाद किया जाना चाहिए और उसकी सूचना ऋण मंजूर करनेवाले अधिकारियों तथा यूसीबी के निवेश विभाग को दी जानी चाहिए। शेयरधारिता को ऋण से जोड़ दिए जाने के कारण तुलनपत्र की तारीख के बाद शेयरपूंजी में हुई वृद्धि अथवा कमी को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अर्ध वार्षिक आधार पर एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। तदनुसार, यूसीबी यदि चाहे तो 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार मौजूदा शेयर पूंजी की राशि को ध्यान में लेते हुए नए सिरे से एक्सपोज़र सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। तथापि, शेयर पूंजी को छोड़कर पूंजीगत निधियों में हुई वृद्धि, जैसे कि अर्धवार्षिक लाभ आदि, एक्सपोज़र सीमा के निर्धारण के लिए पात्र नहीं होगी। यूसीबी यह भी सुनिश्चित करें कि वह, भविष्य में पूंजी में और वृद्धि होने की प्रत्याशा से, निर्धारित की गई सीमा से अधिक एक्सपोज़र नहीं लेगा।

घ. छोटे मूल्यवर्ग के ऋण

9. यूसीबी के कुल ऋणों और अग्रिमों में कम से कम 50 प्रतिशत ऋण छोटे मूल्यवर्ग के ऋण यानि प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख मूल्य या बैंक की टियर-I पूंजी के 0.4 प्रतिशत (अधिकतम ₹3 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। हालांकि, यूसीबी का बोर्ड समय-समय पर विभिन्न ऋण-आकार श्रेणियों के तहत पोर्टफोलियो प्रवृत्ति और गुणवत्ता की समीक्षा करेगा और जहां आवश्यक हो, कम सीमा तय करने पर विचार कर सकता है। उपरोक्त के बावजूद, यूसीबी ऊपर पैराग्राफ 6 में निर्धारित एक्सपोजर सीमाओं का पालन करेगा। इस प्रयोजन के लिए 'ऋण' में सभी प्रकार के वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित एक्सपोजर शामिल होंगे। यूसीबी, जो वर्तमान में निर्धारित सीमा का अनुपालन नहीं करता है, उसे निम्नलिखित ग्लाइड पाथ के अनुसार उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा:

लक्ष्य तिथि →	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026
कुल ऋणों और अग्रिमों में छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों का न्यूनतम प्रतिशत →	40 प्रतिशत	50 प्रतिशत

ङ. स्थावर संपदा एक्सपोजर मानदंड

10. यूसीबी अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति से, स्थावर संपदा ऋणों की कुल राशि पर उच्चतम सीमा से संबंधित व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करेगा, जिसमें आरबीआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूसीबी ऋण का उपयोग, निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए अनुदेशों के अधीन, निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाए, न कि स्थावर संपदा में सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियों के लिए।

ङ.1 कुल आवास/ स्थावर संपदा सीमाएँ

11. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र लोगों के अलावा आवासीय बंधक (व्यक्तियों को आवास ऋण) के लिए यूसीबी का कुल एक्सपोजर पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक उसके कुल ऋणों और अग्रिमों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

12. व्यक्तियों को आवास ऋण को छोड़कर, स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए यूसीबी का कुल एक्सपोजर पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च तक उसके कुल ऋण और अग्रिमों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा/

13. अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना अपने स्तर पर तुलनात्मक रूप से छोटे निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को प्रदान की गई निर्माण सामग्री के हाइपोथिकेशन की जमानत पर यूसीबी द्वारा दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण को निर्धारित सीमा से छूट दी गई है।

14. यूसीबी को उच्चतर वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त निधियों और राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त की सीमा तक आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देने की अनुमति नहीं है।

ङ.2 विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक एक्सपोजर का निष्पादन

15. जो यूसीबी 24 फरवरी 2025 को 'व्यक्तियों को आवास ऋण को छोड़कर, स्थावर संपदा क्षेत्र' के लिए नई एक्सपोजर सीमा 'कुल ऋण और अग्रिमों के 5 प्रतिशत' के उल्लंघन में थे, जबकि 24 फरवरी 2025 तक आवास, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के लिए पुरानी कुल एक्सपोजर सीमा 'कुल आस्ति के 10 प्रतिशत' के अनुपालन में थे, उनके लिए परिवर्तन को सुचारू बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी:

    (i) दिनांक 24 फरवरी 2025 को या उससे पहले स्वीकृत स्थावर संपदा क्षेत्र (व्यक्तियों को आवास ऋण को छोड़कर) के लिए सावधि ऋण और गैर-निधि-आधारित सुविधाएं मूल रूप से स्वीकृत नियमों और शर्तों/पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार परिपक्वता तक वितरित/रन-ऑफ की जा सकती हैं.

    (ii) दिनांक 24 फरवरी 2025 को या उससे पहले स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए स्वीकृत नकद ऋण या इसी तरह की परिक्रामी सुविधाओं की सीमा का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, उधारकर्ता के परामर्श से समयबद्ध तरीके से समग्र एक्सपोजर सीमा को पूरा करने की दृष्टि से ऐसी सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।

(iii) ऐसे यूसीबी स्थावर संपदा क्षेत्र (व्यक्तियों को आवास ऋण को छोड़कर) के लिए तब तक कोई नया एक्सपोजर नहीं लेंगे जब तक कि उनके पास धारा ङ.1 में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार पर्याप्त हेडरूम उपलब्ध न हो।

च. अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा

च.1 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा

16. यूसीबी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित प्रावधानों द्वारा निदेशित होंगे।

च.2 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष सीमा

17. यूसीबी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होंगे।

छ. गैर जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा (जमानतदार सहित या जमानतदार रहित)

छ.1 गैर जमानती अग्रिमों पर सीमाएँ

18. गैर-जमानती अग्रिमों (जमानतदार सहित या जमानतदार रहित) पर व्यक्तिगत उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता के लिए सीमाएं भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा निर्धारित होंगी।

छ.2 गैर जमानती अग्रिम पर कुल सीमा

19. यूसीबी द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए कुल गैर जमानती ऋण और अग्रिम (जमानतदार सहित या रहित या चेक खरीद के लिए) पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च पर ऑडिट किए गए तुलन-पत्र के अनुसार उसकी कुल आस्ति के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

20. एक यूसीबी तब तक ऐसे उधारकर्ता को वित्त पोषित नहीं करेगा, जो पहले से ही किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, जब तक ऐसे वित्तपोषक बैंक से 'अनापत्ति प्रमाण' न लिया जाए और जहां उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं का कुल योग उपर्युक्त पैरा 18 में निर्धारित सीमा से अधिक है, भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21. वित्तीय समावेशन में लगे यूसीबी को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जिस यूसीबी का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो कुल ऋणों के 90 प्रतिशत से कम नहीं है, वह भारतीय

रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार अपनी कुल आस्तियों के 35 प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार गैर जमानती अग्रिम प्रदान कर सकता है:

(1) सामान्य रूप से अनुमत 10 प्रतिशत से अधिक के संपूर्ण गैर जमानती अग्रिम पोर्टफोलियो में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण शामिल होंगे और किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता के साथ एक्सपोजर ₹40,000 से अधिक नहीं होगा।

(2) नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सीआरएआर नौ प्रतिशत से कम नहीं है।

(3) नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सकल एनपीए सात प्रतिशत से अधिक नहीं है।

22. उन यूसीबी के संबंध में जिनका प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो 90 प्रतिशत से कम है, यूसीबी द्वारा स्वीकृत 10,000 रुपये तक के गैर जमानती अग्रिमों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च पर लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत की गैर जमानती एक्सपोजर पर कुल सीमा से छूट दी जाएगी:

(1) स्वीकृत व्यक्तिगत राशि ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) ऋण उत्पादक उद्देश्य के लिए होना चाहिए और यूसीबी को उधार दी गई निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

(3) यूसीबी में कम से कम नौ प्रतिशत सीआरएआर होना चाहिए।

(4) यूसीबी का सकल एनपीए सात प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) यूसीबी द्वारा इस प्रकार दिए गए गैर जमानती अग्रिम उसकी कुल आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। ऊपर दिए गए वित्तीय पैरामीटर नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार होंगे।

23. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वेतन अर्जक यूसीबी किसी विशेष संस्था/संस्थानों के समूह, जिसके लिए उनकी सदस्यता सीमित होती है, के वेतनभोगी कर्मचारियों को अग्रिम अनुदान देता है, और उनके नियोक्ताओं के माध्यम से वेतन से कटौती की जाती है, वेतन अर्जक यूसीबी निम्नलिखित शर्तों के अधीन ₹0.25 लाख से ₹5 लाख तक की सीमा से अधिक ऐसे अग्रिमों की अनुमति दे सकता है:

(1) संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम में बैंक के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन/मजदूरी में से आवधिक ऋण किस्तों की कटौती करने का अनिवार्य प्रावधान है।

(2) यूसीबी ने ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में इस प्रावधान का लाभ उठाया है.

(3) ऐसे अग्रिमों के लिए एक सामान्य सीमा यूसीबी द्वारा कर्मचारियों की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए वेतन पैकेट के कुछ गुणकों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

24. वेतन अर्जक समितियों के अलावा किसी यूसीबी द्वारा सभी वेतनभोगी उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम, जिनका पुनर्भुगतान राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उधारकर्ता के वेतन से कटौती के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, को समग्र रूप से सदस्यों को दिये गए कुल गैर जमानती अग्रिमों की गणना के प्रयोजन के लिए जमानती माना जाएगा। व्यक्तिगत वेतनभोगी उधारकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय, यूसीबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में दर्शाए गए गैर जमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा से अधिक न हों।

ज. नाममात्र सदस्यों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर उच्चतम सीमा

25. यूसीबी अल्प/अस्थायी अवधि के लिए और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए नाममात्र सदस्यों को निम्नलिखित सीमा के अधीन ऋण स्वीकृत कर सकते हैं:

यूसीबी		**ऋण राशि की उच्चतम सीमा**
i)	₹50 करोड़ तक की जमा राशि के साथ	₹50,000 प्रति उधारकर्ता
ii)	₹50 करोड़ से अधिक की जमा राशि के साथ	₹1,00,000 प्रति उधारकर्ता

26. नाममात्र सदस्यों की कुल संख्या, किसी भी समय, नियमित सदस्यों के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, गैर-उधारकर्ता जमानतदार और सहदायिक, जिन्हें नाममात्र सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया है, को उक्त सीमा की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और व्यावृत्ति

27. इन निदेशों के जारी होने के साथ, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

28. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन अनुदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था.

ख. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

29. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

30. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक